# नारी अदालत कार्यक्रम

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस]

भारत सरकार [नारी अदालत कार्यक्रम] का विस्तार करने के लिये अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रस्ताव आमंत्रित कर रही है।

- **परिचय:** [मिशन शक्ति] की **'संबल'** उप-योजना के अंतर्गत **नारी अदालत,** ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिये एक **वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र** प्रदान करती है, जो **बातचीत, मध्यस्थता और सुलह** के माध्यम से छोटे विवादों (जैसे, घरेलू हिंसा, दहेज, बाल हिरासत) को हल करती है।
- **संरचना और कार्यप्रणाली:**
    - **सदस्य:** इसमें **7 से 11 सदस्य** होते हैं जिन्हें **'न्याय सखी'** कहा जाता है, जिन्हें [ग्राम पंचायत] द्वारा नामित किया जाता है।
    - **कार्यान्वयन:** वर्ष 2023 में **असम और जम्मू-कश्मीर** में 50-50 ग्राम पंचायतों में पायलट आधार पर इसकी शुरुआत की जाएगी, तथा अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार करने की योजना है।
- **मिशन शक्ति:** इसकी दो उप-योजनाएँ हैं।
    - **संबल:** [वन स्टॉप सेंटर (OSC)], **महिला हेल्पलाइन,** [बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP)] **और नारी अदालत सहित महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है।**
    - सामर्थ्य: [प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)], [पालना], शक्ति सदन, सखी निवास और महिला सशक्तिकरण केंद्र सहित महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

**और पढ़ें:** [मिशन शक्ति]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/nari-adalat-program